न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :— कुणाल राहड़, आर0ए0एस0

आवेदन पत्र सं ::02/2023
जीसीएमएस सं0 :: 2023/63

गुमान सिंह पुत्र पूर्णमल जाति जाट नि0 श्यामपुरा पूर्वी तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर राज0

— प्रार्थी,

बनाम

1. सागरमल तथाकथित भगवाना पुत्र नारायण
2. भगवानाराम पुत्र श्योला

समस्त जाति जाट नि0 श्यामपुरा पूर्वी तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर राज0

3. गंगाबक्स पुत्र भींवाराम जाति जाट नि0 भैंरूपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

— अप्रार्थीगण,

उपस्थित :— . 1. श्री राजेन्द्र जाखड़ वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री भागीरथमल जाखड़ अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।

आवेदन पत्र अं0 धारा 144 सीपीसी।

निर्णय

दिनांक ::20.02.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना—पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम श्यामपुरा प0ह0 श्यामपुरा भू0अ0नि0 पलसाना तहसील दांतारामगढ़, सीकर की तन में भूमि ख0नं0 697 रकबा 0.90 है0 अवस्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी अपने पिता पूर्णमल की फुटस्टेप पर विरासतन काबिज चला आ रहा है। उक्त भूमि की उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा निमित प्रार्थी के पिता पूर्णमल द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किया गया वाद उनवानी पूर्णमल आदि बनाम भगवाना आदि मु0नं0 214/13 विचाराधीन है। वाद सं0 214/2013 के विचारण के दौरान प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी सं0 2 भगवानाराम ने अप्रार्थी सं0 3 गंगाबक्स के हक में उपरोक्त भूमि ख0नं0 697 व अन्य भूमि ख0नं0 1010 का एक अवैध विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीकृत करवा दिया था, जिस बाबत वाद सं0 214/13 में संशोधन भी कराया जा चुका है। वाद सं0 214/13 के विचारण के दौरान ही अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 द्वारा एक दुरभि संधी युक्त दावा सं0 59/15 उनवानी सागरमल बनाम भगवाना आदि मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके प्रार्थी के पिता पूर्णमल के द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद सं0 214/13 जिसमें प्रार्थी भी अपने पिता के स्थान पर पक्षकारान बन चुका है, के तथ्य को छुपाते हुए अवैध रूप से जरिये राजीनामा द्वारा डिक्री करवा लिया और उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं0 1 सागरमल का नाम अवैध रूप से दर्ज करवा लिया। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 द्वारा

सहायक कलक्टर (मु0)

Scanned with CamScanner

माननीय न्यायालय द्वारा वाद सं0 59/15 में पारित निर्णय व डिक्री व उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अवैध रूप से करवाये गये इन्द्राजात के बारे में जानकारी होने पर प्रार्थी व प्रार्थी के पिता पूर्णमल के अन्य वारिसान द्वारा मान0 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी,सीकर के समक्ष अपील उनवानी फुली देवी आदि बनाम सागरमल आदि मु0नं0 6/2021 प्रस्तुत की गयी। जिसे माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.11.2022 द्वारा स्वीकार किया जाकर वाद सं0 59/15 उनवानी सागरमल बनाम भगवानाराम आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2015 को अपास्त किया जा चुका है। अप्रार्थीगण मान0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2015 को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा अपास्त कर दिये जाने के बावजूद भी मान0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2015 के आधार पर ग्राम श्यामपुरा प0ह0 श्यामपुरा तह0 दांतारामगढ़,सीकर की तन में अवस्थित भूमि ख0नं0 697 रकबा 0.90 है0 ख0नं0 1010 रकबा 0.04 है0 के राजस्व रिकार्ड में अंकित हो रखे अवैध इन्द्राजात के आधार पर उपरोक्त भूमियों को अन्यत्र हस्तांतरित, प्रभारित करने, उपरोक्त भूमियों की मौका सूरत बदलने एंव भूमियों को बेस्ट डेमेज व अलाईनेट करने पर आमादा फसाद है, इसलिए न्यायहित में एंव कानूनी प्रावधानों की परिधि में ग्राम श्यामपुरा की तन में अवस्थित भूमि ख0नं0 697 रकबा 0.90 है0 ख0नं0 1010 रकबा 0.04 है0 के राजस्व रिकार्ड में मान0 न्यायालय द्वारा वाद सं0 59/15 उनवानी सागरमल बनाम भगवानाराम आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2015 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में हुए अवैध इन्द्राजात को हटाया जाकर उसके पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाना उचित व आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र पेश कर इसे स्वीकार ग्राम श्यामपुरा तहसील दांतारामगढ़,सीकर की तन में अवस्थित भूमि ख0नं0 ाानं0 697 रकबा 0.90 है0 ख0नं0 1010 रकबा 0.04 है0 के राजस्व रिकार्ड में माननीय न्यायालय द्वारा वाद सं0 59/15 उनवानी सागरमल बनाम भगवानाराम आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2015 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में हुए अवैध इन्द्राजात को हटाया जाकर उसके पूर्व की स्थिति को बहाल करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर अप्रार्थी सं0 1 वकील उपस्थित आए। वकील अप्रार्थी सं0 1 द्वारा आवेदन पत्र अं0 धारा 144 सीपीसी पेश न कर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया गया।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, आवेदन पत्र अं0 धारा 144 सीपीसी में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी एंव अप्रार्थी सं0 1 द्वारा आवेदन पत्र अं0 धारा 144 सीपीसी में अंकित तथ्यों को ही दोहराया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम श्यामपुरा प0ह0 श्यामपुरा भू0अ0नि0 पलसाना तहसील दांतारामगढ़, सीकर की तन में भूमि ख0नं0 697 रकबा 0.90 है0 अवस्थित है। उक्त विवादित भूमि की उदघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा निमित प्रार्थी के पिता पूर्णमल द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किया गया वाद उनवानी पूर्णमल आदि बनाम भगवाना आदि मु0नं0 214/13 विचाराधीन चलने के दौरान दावा सं0 59/15 उनवानी सागरमल बनाम भगवाना आदि मान0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जरिये राजीनामा द्वारा डिक्री करवा लिया और उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड

6

सहायक कलक्टर (मु॰)
सीकर

Scanned with CamScanner

में अप्रार्थी सं0 1 सागरमल का नाम अवैध रूप से दर्ज करवा लिया। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा वाद सं0 59/15 में पारित निर्णय व डिक्री व उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अवैध रूप से करवाये गये इन्द्राजात के बारे में जानकारी होने पर प्रार्थी व प्रार्थी के पिता पूर्णमल के अन्य वारिसान द्वारा मान0 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी,सीकर के समक्ष अपील उनवानी फुली देवी आदि बनाम सागरमल आदि मु0नं0 6/2021 प्रस्तुत की गयी। जिसे माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.11.2022 द्वारा स्वीकार किया जाकर वाद सं0 59/15 उनवानी सागरमल बनाम भगवानाराम आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2015 को अपास्त किया जा चुका है। अप्रार्थीगण मान0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2015 को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा अपास्त कर दिये जाने के बावजूद भी न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2015 के आधार पर ग्राम श्यामपुरा प0ह0 श्यामपुरा तह0 दांतारामगढ़,सीकर की तन में अवस्थित भूमि ख0नं0 697 रकबा 0.90 है0 ख0नं0 1010 रकबा 0.04 है0 के राजस्व रिकार्ड में अंकित हो रखे अवैध इन्द्राजात के आधार पर उपरोक्त भूमियों को अन्यत्र हस्तांतरित, प्रभारित करने, उपरोक्त भूमियों की मौका सूरत बदलने एंव भूमियों को बेस्ट डेमेज व अलाईनेट करने पर आमादा फसाद है, इसलिए न्यायहित में एंव कानूनी प्रावधानों की परिधि में ग्राम श्यामपुरा की तन में अवस्थित भूमि ख0नं0 697 रकबा 0.90 है0 ख0नं0 1010 रकबा 0.04 है0 के राजस्व रिकार्ड में मान0 न्यायालय द्वारा वाद सं0 59/15 उनवानी सागरमल बनाम भगवानाराम आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2015 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में हुए अवैध इन्द्राजात को हटाया जाकर उसके पूर्व की स्थिति को बहाल करने हेतु निवेदन किया है।

चूंकि न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद सं0 59/15 उनवानी सागरमल बनाम भगवाना आदि में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर दिनांक 15.12.2015 डिक्री किये जाने पर इसके विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी,सीकर के समक्ष अपील सं0 06/2021 उनवानी फुली देवी आदि बनाम सागरमल आदि प्रस्तुत की जाने पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.11.2022 द्वारा इसे स्वीकार किया जाकर वाद सं0 59/15 उनवानी सागरमल बनाम भगवानाराम आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2015 को अपास्त किये जाने पर अप्रार्थी सं0 1 सागरगल द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2022 के विरूद्ध माननीय राजस्व मंडल,अजमेर में अपील टी0ए0 सं0 1205/23 सागरमल बनाम श्रीमती फूली देवी पेश की गई है। परन्तु माननीय राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा ना तो अपीलान्ट के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किये गये है ना ही कोई अनुतोष प्रदान किया गया है। इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अं0 धारा 144 सीपीसी स्वीकार करना उचित समझता है।

सहायक कलक्टर (मु०)
सीकर

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अं0 धारा 144 सीपीसी स्वीकार किया जाकर ग्राम श्यामपुरा प0ह0 श्यामपुरा, भू0अ0नि0 पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में अवस्थित भूमि ख0नं0 697 रकबा 0.90 है0 ख0नं0 1010 रकबा 0.04 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में न्यायालय हाजा द्वारा वाद संख्या 59/15 उनवानी सागरमल बनाम भगवानाराम आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.1.22015 के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में हुए अवैध इन्द्राजात को हटाया जाकर उसके पूर्व की स्थिति को बहाल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर(मु0) सीकर

Scanned with CamScanner